कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0– 04./2020–21

असरफ अंसारी,
पिता– करीम अंसारी
साकिन– मतौनी, पो0– परसाबाद

12.10.2020 असरफ अंसारी, पिता– करीम अंसारी, साकिन– मतौनी, पोस्ट– परसाबाद, थाना– जयनगर, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि केवाला द्वारा उनकी खरीदगी भूमि यथा मौजा– सलैया, थाना नं0– 301 के खाता सं0– 61, प्लॉट नं0– 29/45, रकबा– 0.26 ए0 की ऑफलाइन जमाबंदी मो0 असरफ अंसारी, पिता– करीम अंसारी के नाम से पंजी II के क्रमशः पृष्ठ सं0– 151/1 पर कायम है। परंतु उक्त भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी पंजी II में जमाबंदीदार मो0 असरफ अंसारी, पिता– करीम अंसारी के साथ अन्य व्यक्ति बंसी गोप, पिता– धानो गोप वगैरह की प्रविष्टि हो गयी है।

आवेदक, मो0 अंसारी के द्वारा निबंधित केवाला सं0– 7511 दिनांक 29.12.2010 को अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए ऑनलाइन पंजी II में उक्त भूमि की जमाबंदी को अलग करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर से विहित प्रपत्र में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। साथ ही पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर मूल राजस्व कागजातों की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 19/10/2020 को उपस्थापित करें।

12/10/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

19.10.2020 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

जमाबंदीदार/आवेदक की ओर से मो0 मुस्ताक अंसारी, पिता– सहिम मियां उपस्थित हैं। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा मूल राजस्व कागजात यथा निबंधित केवाला संख्या– 7511 दिनांक 29.12.2010 मूल प्रति तथा शपथपत्र सं0– 06 दिनांक 12.10.2020 को प्रस्तुत किया गया।

राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच–प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) समर्पित किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। राजस्व कागजातों के जाँचोपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

01. हल्का सं0– VI के मौजा– सलैया, थाना नं0– 301 के ऑफलाइन **मूल** पंजी II के पृष्ठ सं0– 151/1 (छायाप्रति संलग्न) पर खाता सं0– 54, रकबा– 0.36 ए0, मालगुजारी– 1.41 रू0 कैम्प कोर्ट– पथलडीहा, दिनांक 22.01.1965 अंचल अधिकारी के आदेशानुसार बंशी गोप, पिता– धानो गोप वो होरिल गोप, पिता– झखर गोप वो धानो गोप, पिता– तालो गोप वो रामेश्वर गोप, पिता– डिलो गोप के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान वर्ष 1965–66 तक वसूल है।

Scanned with Cam

02. हल्का सं0– VI के ऑफलाइन **संयुक्त** पंजी II के पृष्ठ सं0– 151/1 (छायाप्रति संलग्न) पर खाता सं0– 61, प्लॉट नं0– 2945, रकबा– 0.26 ए0, मालगुजारी– 0.10 रू0, दाखिल–खारिज वाद सं0– 867/2012–13 के अनुसार मो0 असरफ अंसारी, पिता– करीम, सा0– मतौनी (जयनगर) का नाम दर्ज है। केवाला संख्या 7511 दिनांक 21.12.2010 दर्ज है। लगान वर्ष 2012–13 तक वसूल है।

03. मौजा– सलैया, थाना नं0– 301 के ऑनलाइन पंजी II के पृष्ठ सं0– 151/1 पर उपरोक्त दोनों ऑफलाइन जमाबंदी एक ही पृष्ठ पर सम्मिलित हो गया है। अतः उपरोक्त ऑफलाइन जमाबंदी के आधार पर ऑनलाइन में जमाबंदी को अलग–अलग पृष्ठों पर दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख दिनांक 28/10/2020 को उपस्थापित करें।

28/10/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

28.10.2020 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों तथा शपथ पत्र एवं राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा– सलैया, थाना नं0– 301 के ऑफलाइन **मूल** पंजी II के पृष्ठ सं0– 151/1 पर खाता सं0– 54, रकबा– 0.36 ए0, बंशी गोप, पिता– धानो गोप वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं उक्त हल्का सं0– VI के ही ऑफलाइन **संयुक्त** पंजी II के पृष्ठ सं0– 151/1 पर खाता सं0– 61, प्लॉट नं0– 2945, रकबा– 0.26 ए0, मो0 असरफ अंसारी, पिता– करीम, सा0– मतौनी (जयनगर) का नाम से अलग–अलग जमाबंदी कायम है। परंतु मौजा– सलैया, थाना नं0– 301 के ऑनलाइन पंजी II में दोनों जमाबंदी एक ही पृष्ठ सं0– 151/1 पर अंकित हो गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं शपथ पत्र तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर ऑनलाइन पंजी II के सं0– 151/1 पर कायम उपर्युक्त दो जमाबंदी में से एक जमाबंदी यथा मौजा– सलैया, थाना नं0– 301 के खाता सं0– 61, प्लॉट नं0– 2945, रकबा– 0.26 ए0, लगान– 1.00 रू0, असरफ अंसारी, पिता– करीम अंसारी, साकिन– मतोनी, पो0– परसाबाद, थाना– जयनगर, जिला– कोडरमा को ऑनलाइन पंजी II में अलग/नया पृष्ठ पर दर्ज करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई कर्ड की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

28/10/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28/10/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with Cam